कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 98/2020 दिनांक: नवम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 15.11.2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 652/2020 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू पुत्र निजामुद्दीन निवासी घुरीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष को रजनहिंया चौराहे के पास से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उसने अपनी दादी से जुआ खेलने के लिये पैसा मांगा, परन्तु उसकी दादी द्वारा पैसा न देने के कारण क्रोध में उसने उसकी दादी की हत्या कारित कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सोनू पुत्र निजामुद्दीन निवासी घुरीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद आला कत्ल लोहे की पाईप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्र0नि0 इन्द्रभूषण यादव, का0 अनिल कुमार व का0 अभय कुमार थाना सारनाथ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

पुरुष बन्दी गृह

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 99/2020 दिनांक: नवम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

दिनांक 14.11.2020 को ग्राम फूलपुर थाना चौबेपुर वाराणसी में अराजकतत्वों गब्बर सोनकर, गोलू यादव व मूसे सोनकर निवासीगण ग्राम चाँदपुर थाना चौबेपुर वाराणसी द्वारा गाँव में स्थापित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ग्रामीणों द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को पकड़कर थाना चौबेपुर परिसर में लाया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0 0557/2020 धारा 147/295A/505(2)/336/427 भादवि पंजीकृत करते हुए तीनों अभियुक्तों को समय करीब 03.46 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गब्बर सोनकर उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र सोमारू सोनकर
2. गोलू यादव उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र जियालाल यादव
3. मूसे सोनकर उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र बल्लू सोनकर

निवासीगण ग्राम चाँदपुर थाना चौबेपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 100/2020 दिनांक: नवम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

दिनांक 15.11.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 531/2020 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अशरफ सिद्दिकी पुत्र निसार अहमद निवासी म0नं0- सी 16/62 लहंगपुरा थाना सिगरा जनपद वाराणसी को पिशाच मोचन के पास से समय करीब 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद मोटरसाईकिल हीरो-होण्डा पैशन प्रो संख्या UP 65 AX 8494 बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर अभियुक्त अशरफ सिद्दिकी ने बताया कि मैं राजमिस्त्री हूँ, लॉकडाउन होने के कारण मुझे काम धन्धा नहीं मिल रहा था जिस कारण मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अंग्रेजी शराब ठेका पर शराब लेने गया था, जहां पर उक्त मोटरसाईकिल खड़ी थी। मैंने काफी देर तक देखा परन्तु कोई उक्त मोटरसाईकिल को ले जाने वाला नहीं दिखा। मैंने अपने पास लिये चाभी से उक्त मोटरसाईकिल को स्टार्ट कर वहां से लेकर भाग गया। आज इस मोटरसाईकिल को बेचने के लिये लेकर जा रहा था कि आपलोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अशरफ सिद्दिकी पुत्र निसार अहमद निवासी म0नं0- सी 16/62 लहंगपुरा थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद मोटरसाईकिल हीरो-होण्डा पैशन प्रो संख्या UP 65 AX 8494

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विजय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी लल्लापुरा व का0 विजयशंकर यादव थाना सिगरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
22 23 24 25
29 30

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 101/2020 दिनांक: नवम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *"मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 15.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियों/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 142 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3825 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 883 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 107 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1084 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 10 के विरूद्ध एमवी एक्ट में चालान, 15 के विरूद्ध 151 सीआरपीसी में चालान, 46 मनचलों को हिदायत एवं 36 मनचलों को सख्त चेतावनी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 102/2020 दिनांक: नवम्बर, 15/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 15-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 69 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *07 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 702 व्यक्तियों से रु0-18,800/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 697 वाहनों का चालान, 04 वाहनों को सीज तथा 25 वाहनों से रु0-17,400/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।